कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय का पता–कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
दूरभाष का पता–0151–2226551 ई मेल– **aayukt.ele@gmail.com**

क्रमांक : शिविरा / प्रारं / निरीक्षण / प्रसु / टाइम्स / 19569 / 2020 / 1538 दिनांकः– 17.03.2020

1. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंम्भिक शिक्षा मुख्यालय
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक
3. प्राचार्य डाइट समस्त जिले

विषयः–दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम की क्रियान्विति का सम्पर्क पोर्टल पर अंकन करने के संबंध में।
प्रसंगः–राजस्थान सरकार प्रा.शि. (आयोजना) विभाग के पत्रांक–प.19(5) प्रा.शि. / आयो / 2017 जयपुर दिनांक 12.02.2020 एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग के अ.शा. पत्रांक प13(1) प्रसु / टाइम्स / 2019 जयपुर दिनांक 24.01.2020

उपरोक्त विषय में संदर्भित अ.शा. पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि आमजन की परिवेदनाओं के शीघ्र निस्तारण एवं प्रशासन में कार्यकुशलता की दृष्टि से राजस्थान संपर्क पोर्टल पर माह दिसम्बर 2019 की समीक्षा के दौरान आपके जिले में आप द्वारा किए गए दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम की क्रियान्विति का अंकन प्रतिशत न्यून है, जो राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना का द्योतक है। अब तक 319 निरीक्षण लक्ष्य के विरूद्ध 111 निरीक्षण संपर्क पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।

अतः इस विषय को प्राथमिकता प्रदान करते हुए आपके जिले में अधीनस्थ विद्यालयों एवं कार्यालयों के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम कर क्रियान्विति अपनी लॉग–इन आई डी द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए निदेशालय को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।

नोटः– जिले के जिला कलक्टर महोदय द्वारा आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(अशोक सांगवा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / प्रारं / निरीक्षण / प्रसु / टाइम्स / 19569 / 2020 / 1538 दिनांकः– 17.03.2020
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा भाषा साक्षरता विभाग जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव स्कूल शिक्षा शासन सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर समस्त जिले।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त संभाग से पत्र देकर लेख है कि उक्त अधिकारियों को पत्र की अनुपालना हेतु पाबन्द करें।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले को पत्र देकर लेख है कि संबंधित अधिकारियों को पत्र की अनुपालना हेतु प्रतिमाह यात्रा कार्यक्रम अनुमोदित कर लक्ष्य प्राप्ति कर राजस्थान संपर्क पोर्टल हेतु पाबन्द करावें।
7. कम्प्यूटर अनुभाग प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र देकर लेख है कि पत्र को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com